Australian Electoral Commission

Hindi/हिंदी

आपकी ऑफ़िशिअल गाइड

2025 के फ़ेडरल इलेक्शन (संघीय चुनावों) के लिए

शनिवार 3 मई 2025

वोट देना (मतदान करना) अनिवार्य है

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए

आपका वोट ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप गढ़ने में सहायता करेगा

कार्यवाहक चुनाव आयुक्त (ऐक्टिंग इलेक्टोरल कमिश्नर) **का संदेश**

इस मार्गदर्शिका में प्राप्त होने वाली जानकारी के स्रोतों की जाँच करने और अपने वोट को गिनती में शामिल करवाने के तरीकों के बारे में सुझाव दिए गए हैं, जो इस बात की जानकारी देते हैं कि चुनाव-केंद्र पर क्या होता है और इसमें अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं।

चुनाव के दिन पूरे देश में चुनाव-केंद्र खुले होंगे, इसके अलावा समुदायों को अपने मत का प्रयोग कर पाने में सहायता करने के लिए मतदान के अन्य विकल्प भी होंगे।

आप भरोसा रखें कि हम **सत्यनिष्ठा** से चुनाव की प्रक्रिया पूरी करेंगे, मतपत्र के छापने से लेकर आपके वोट की गिनती तक – चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में हम आपके वोट को सुरक्षित रखेंगे।

विचारों का भरपूर आदान-प्रदान चुनाव अभियान का एक हिस्सा है, और मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करूँगा कि आपको जो भी जानकारी मिले, उस पर ध्यान से विचार करें, विशेष रूप से ऐसी कोई भी जानकारी जो हमारी सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देती हो।

जरा सोचें कि क्या वह जानकारी किसी पहचाने जा सकने वाले और विश्वसनीय स्रोत से आई है। यदि इसका उत्तर न में हो तो मेरा कहना है कि आप सावधानी बरतें।

जब आप किसी चुनाव-केंद्र पर जाते हैं, तो कृपया याद रखें कि हमारे कर्मचारी आम ऑस्ट्रेलियाई लोग हैं जो मतदान प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए हैं।

इस चुनाव में आप अपना मत कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए **aec.gov.au** पर जाएँ।

Jeff Pope
कार्यवाहक चुनाव आयुक्त

मतदाता-सूची में
97% से अधिक
पात्र मतदाता

POLLING PLACE
7,000+
चुनाव-केंद्र

500+
अर्ली वोटिंग सेंटर (चुनाव से पूर्व मतदान करने के केंद्र)

100,000+
अस्थायी चुनाव कार्यकर्ता

ज़रा रुकें और सोचें
इस फ़ेडरल इलेक्शन में जानकारी के स्रोत की जाँच करें

चुनावों के दौरान बहुत सी जानकारी बाँटी जाती है जिसे आपके वोट को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। यह चुनाव-प्रत्याशियों, राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों को मतदाताओं तक अपनी नीतियों और धारणाओं की जानकारी पहुँचाने का अवसर देती है।

लेकिन, कुछ ग़लत या ग़ुमराह करने वाली जानकारी जान बूझ कर भी दी जा सकती है। यह महत्त्वपूर्ण है कि फ़ेडरल चुनावों के बारे में आप जो भी देखें, सुनें या पढ़ें, उस पर ध्यानपूर्वक गौर करें।

विचार करने के लिए समय निकालें:

- जानकारी **कहाँ से** आई है? क्या यह किसी विश्वसनीय मीडिया आउटलेट से या किसी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है?
- यह **कब** प्रकाशित हुई थी? पुरानी जानकारी जो अब सही नहीं है, उसे नई जानकारी की तरह दिखाने के लिए साझा किया जा सकता है।
- यदि आप निश्चित नहीं हैं तो **जाँच करें**। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तकनीक मतदान प्रक्रिया के बारे में ग़लत जानकारी तैयार करना आसान बनाती है।

यदि आप संघीय चुनाव प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बारे में आप को संदेह है, तो ए ई सी से पूछें। यह विशेष रूप से उस जानकारी के संबंध में महत्वपूर्ण है जिसे आप सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन देखते हैं। अधिक जानकारी और सहायक सुझावों वाले छोटे-छोटे वीडियो देखने के लिए **aec.gov.au/stopandconsider** पर जाएँ।

चुनाव का दिन शनिवार 3 मई 2025 है।

चुनाव-केंद्र प्रातः ठीक 8 बजे खुलेंगे और सायं ठीक 6 बजे बंद हो जाएँगे।

फ़ेडरल चुनाव इसलिए करवाए जाते हैं ताकि मतदाता हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ और सीनेट में अपने विचारों और हितों के प्रतिनिधित्व के लिए सांसदों को चुन सकें। यहाँ मतदान के बारे में कुछ बातें बताई गई है जिन्हें आपको जानना चाहिए।

किन लोगों को वोट देना होगा?

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए फ़ेडरल चुनावों के लिए नामांकन करवाना और वोट देना आवश्यक है।

मैं कहाँ वोट दे सकता/सकती हूँ?

चुनाव के दिन आप अपने राज्य या टेरिटरी के किसी भी चुनाव-केंद्र पर वोट दे सकते हैं। चुनाव-केंद्र प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक खुले होंगे।

चुनाव-केंद्र आम तौर पर स्थानीय विद्यालयों, गिरजाघरों, सामुदायिक हॉलों और सरकारी भवनों में होते हैं।

अपने निकटतम मतदान स्थल का पता लगाने के लिए **aec.gov.au/where** पर देखें।

यदि मुझे सहायता चाहिए तो?

यदि आप चल-फिर नहीं सकते या आपको कोई विकलांगता है, या आप ऐसी स्थिति वाले किसी व्यक्ति की देख-भाल करते हैं, तो आप **aec.gov.au/where** पर चुनाव-केन्द्रों की अभिगम्यता की जानकारी देख सकते हैं।

नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले मतदाताओं के लिए वोट देने के लिए ऐसे विकल्प हैं जो सहायता कर सकते हैं। इनके बारे में जानने के लिए **aec.gov.au/assistance** पर देखें या **13 23 26** पर फ़ोन करें।

यदि मैं किसी अन्य राज्य या टेरिटरी में हूँ तो?

चुनाव के दिन यदि आप अपने राज्य या टेरिटरी से बाहर होंगे तो हो सकता है कि आप किसी नामज़द इंटरस्टेट वोटिंग सेंटर में वोट दे सकते हैं, या चुनाव के दिन से पहले वोट देने के विकल्पों पर विचार करें।

यदि चुनाव के दिन मेरे लिए वोट देना संभव नहीं होगा तो?

चुनाव के दिन यदि आप किसी चुनाव-केंद्र तक नहीं पहुँच सकते तो आप उससे पहले व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा वोट देने के पात्र हो सकते हैं।

चुनाव से पहले व्यक्तिगत रूप से वोट कैसे दें

यदि आप इसके पात्र हैं तो आप चुनाव के दिन से पहले वोट दे सकते हैं। अर्ली वोटिंग सेंटर **मंगलवार 22 अप्रेल 2025** से खुले होंगे। इनके खुलने के दिन और समय अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी अर्ली वोटिंग सेंटर के बारे में जानकारी देखने के लिए **aec.gov.au/where** पर जाएँ।

चुनाव के दिन से पहले वोट देने और पात्रता के बारे में अधिक जानकारी के लिए **aec.gov.au/early** पर जाएँ या **13 23 26** पर फ़ोन करें।

चुनाव से पहले डाक द्वारा वोट कैसे दें

पात्र मतदाताओं के लिए पोस्टल वोट (डाक द्वारा मतदान) की सुविधा उपलब्ध है। अपनी पात्रता जाँचने और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए **aec.gov.au/pva** पर जाएँ।

आवेदन पत्र ए ई सी को **बुधवार 30 अप्रेल 2025 को सायं 6** बजे तक अवश्य मिल जाने चाहिएँ।

यदि आप पोस्टल वोट के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो कृपया **13 23 26** पर फ़ोन करें।

कोई राजनीतिक पार्टी या अन्य संगठन आपको पोस्टल वोट (डाक द्वारा वोट डालने) का आवेदन पत्र भेज सकता है। तीसरे पक्षों को घरों पर इन आवेदन-पत्रों को भेजने की अनुमति है, परंतु आपके लिए उन का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। आप पोस्टल वोट पैक के लिए सीधे AEC से आवेदन कर सकते हैं।

मैं कौन से निर्वाचन-क्षेत्र (इलेक्टोरेट) में आता/आती हूँ?

आप किस निर्वाचन-क्षेत्र में रहते हैं, इसकी जाँच आप **aec.gov.au/electorate** पर कर सकते हैं।

संभव है कि पिछले फ़ेडरल चुनावों के उपरांत पुनर्वितरण के कारण आपके निर्वाचन-क्षेत्र का नाम या उसकी सीमाएँ बदल गई हों। इस कारण से हो सकता है कि आपको किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में वोट देने जाना पड़े या आप जहाँ प्राय: वोट देते हैं, वह चुनाव-केंद्र अब दूसरे निर्वाचन-क्षेत्र में आता हो।

आप अपना वोट किसे दें, यह निर्णय आप करेंगे

आप अपना वोट कैसे देते हैं इसका निर्णय केवल आपको करना है। चुनाव केन्द्रों के बाहर उम्मीदवारों के प्रतिनिधि आपको 'हाउ टु वोट' (वोट कैसे दें) कार्ड देने का प्रयास कर सकते हैं ताकि आप एक विशिष्ट तरीके से वोट दें। आपके लिए हाउ टु वोट कार्ड लेना या उसके अनुसार वोट देना आवश्यक नहीं है।

क्या आपके कोई अन्य प्रश्न हैं?
aec.gov.au/faqs पर जाएँ

चुनाव-केंद्र **पर क्या होगा?**

जब आप चुनाव-केंद्र पर पहुँचते हैं, तो एक मतदान अधिकारी आपका पूरा नाम और पता पूछेगा, और यह भी पूछेगा कि आपने 2025 के चुनाव में पहले मतदान किया है या नहीं।

- मतदाता सूची में आपके नाम को चिह्नित कर दिया जाएगा।
- आपको हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए एक मतपत्र और सीनेट के लिए एक मतपत्र दिया जाएगा।
- अपने मतपत्रों को सही ढंग से पूरा करने के लिए उन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें या किसी मतदान अधिकारी की सहायता लें।
- जब आप अपने मतपत्र भर लेते हैं, तो उन्हें मतपेटी में डाल दें।
- यदि आपने ए ई सी की पेंसिल का उपयोग किया है, तो उसे बाहर जाने के रास्ते में बॉक्स में रख दें।

अच्छी स्वच्छता को प्रोत्साहित किया जाता है और हैंड सैनिटाइज़र प्रदान किया जाएगा।

हमारे कर्मचारी आपकी मदद करने के लिए हैं। कृपया उनका आदर करें।

यह सुनिश्चित करना कि **आपका वोट गिनती में शामिल हो**

आपको दो मतपत्र दिए जाएँगे: एक छोटा, हरे रंग का जो हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए होगा, और एक बड़ा, सफ़ेद रंग का सीनेट के लिए। **आपको दोनों मतपत्रों को भरना होगा।** हरे मतपत्र पर आप हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र या इलेक्टोरेट (निर्वाचन क्षेत्र) के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देंगे। सफ़ेद मतपत्र पर आप सीनेट के लिए अपने राज्य या टेरिटरी के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देंगे।

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़

हरे मतपत्र पर **हर खाने में** अपनी पसंद की प्राथमिकता के अनुसार एक नंबर लिखें। उस उम्मीदवार के खाने में नंबर ‘1’ लिखें जो आपकी पहली पसंद है, अपनी दूसरी पसंद के उम्मीदवार के लिए ‘2’ लिखें और इसी तरह अपनी पसंद के अनुसार सभी खानों में नम्बर लिखें।

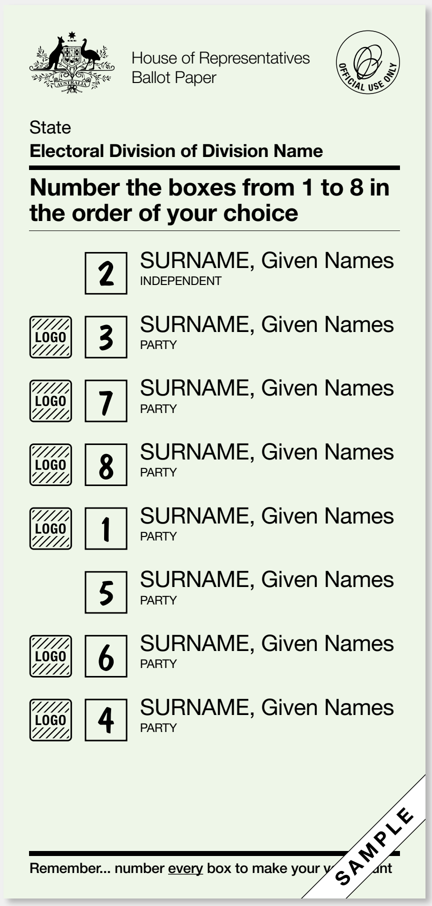

मतपत्र का नमूना

क्या आप जानते हैं कि आप ए ई सी की वैबसाइट पर वोट देने का अभ्यास कर सकते हैं? **aec.gov.au/practise** पर जाएँ

सीनेट

सफ़ेद मतपत्र पर आप दो में से किसी एक तरीके से वोट देने का चयन कर सकते हैं:

या तो

लाइन से ऊपर

यदि आप लाइन से ऊपर मतदान के तरीके को चुनते हैं, तो आपको **कम से कम 6 खानों** में नंबर लिखने होंगे।

अपनी सबसे अधिक पसंद की पार्टी या समूह के ख़ाने में '1' लिखें, अपनी दूसरी पसंद के ख़ाने में '2' लिखें और इस तरह से कम से कम 6 खानों को भरें। लाइन से ऊपर के बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

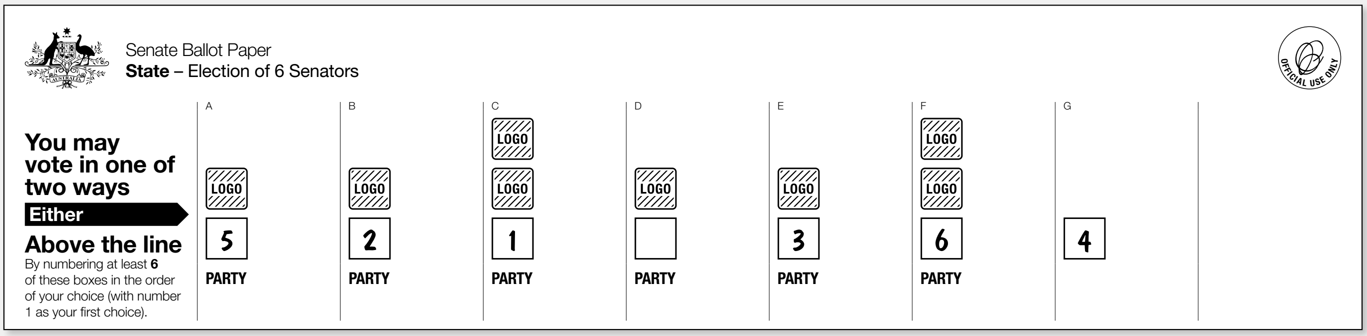

मतपत्र का नमूना

या

लाइन के नीचे

यदि आप लाइन के नीचे वोट देने के तरीके को चुनते हैं तो आपको **कम से कम 12 खानों** में, अपनी पसंद के क्रम में, अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए 1 से 12 तक नंबर लिखने होंगे। लाइन के नीचे बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

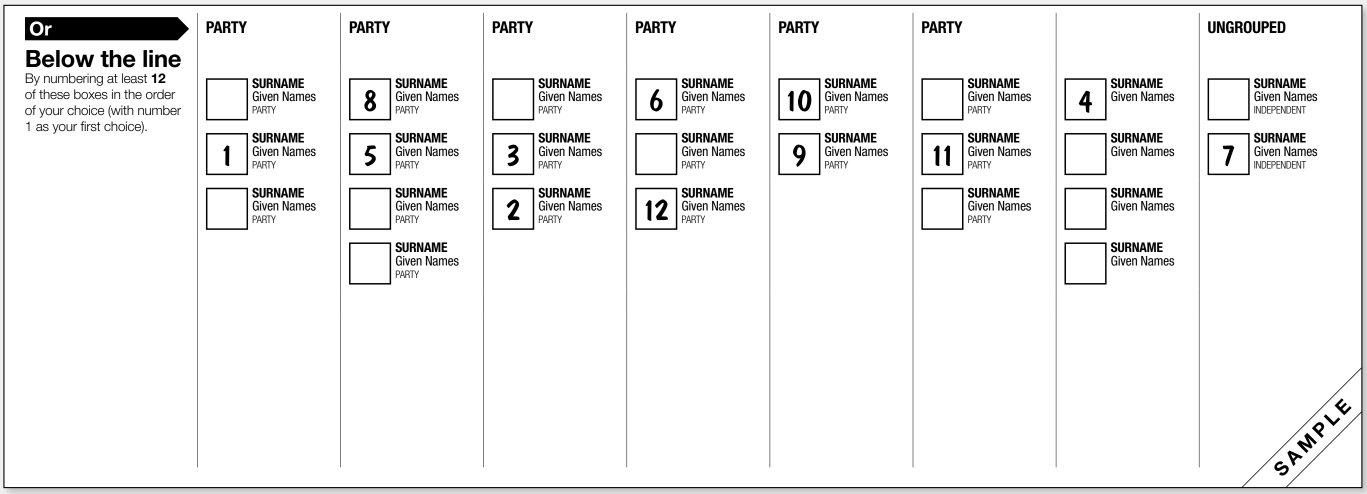

मतपत्र का नमूना

यदि आप ग़लती करते हैं तो चिंता न करें।

आप एक और मतपत्र माँग सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं।

आपकी ऑफ़िशिअल गाइड 2025 के फ़ेडरल इलेक्शन (संघीय चुनावों) के लिए

शनिवार 3 मई 2025

इस आधिकारिक गाइड पुस्तिका के **वैकल्पिक प्रारूप**

अधिक सुविधाजनक रूप में जानकारी

उन मतदाताओं के लिए जो नेत्रहीन हैं या जिन्हें कम दिखाई देता है, यह आधिकारिक पुस्तिका बड़े प्रिंट, ई-टेक्स्ट और ऑडिओ फाइलों के रूप में ए ई सी की वेबसाइट **aec.gov.au/assistance** पर उपलब्ध है।

ये प्रारूप और ब्रैल में जानकारी **13 23 26** पर फ़ोन कर के भी मँगाए जा सकते हैं।

यदि आप बहरे हैं या आपको सुनने में कठिनाई होती है तो हमसे नेशनल रिले सर्विस (एन आर एस) के माध्यम से संपर्क करें। कॉल करने के लिए अपने पसंदीदा चैनल का प्रयोग करें और एन आर एस को हमारा नंबर **13 23 26** दें।

ओज़लेन (Auslan) इंटरप्रेटिंग सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी। और अधिक जानने के लिए ए ई सी की वैबसाइट पर जाएँ।

अन्य भाषाओं में जानकारी

इस गाइड के 34 भाषाओं में अनुवादित संस्करण **aec.gov.au/translated** वैबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

टेलीफ़ोन पर दुभाषिया सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। वोट देने और चुनावों के बारे में हिंदी में जानकारी के लिए **1300 720 153** पर फ़ोन करें।

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वोट देना अनिवार्य है। यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आप पर मुक़दमा चलाया जा सकता है। एक से अधिक बार वोट देना दंडनीय अपराध है।

इलेक्टोरल कमिश्नर, 10 मोर्ट स्ट्रीट, कैनबरा द्वारा प्राधिकृत
Authorised by the Electoral Commissioner, 10 Mort Street, Canberra